न्यायालयः सिविल जज (सी0डि0), बरेली।
<u>मूलवाद सं0–631 सन् 2019,</u> हसीब मियां–बनाम–रईस वेग।

<u>दिनांकः–22.01.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादीगण मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 18ग पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन किया।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 18ग अन्तर्गत आदेश–23 नियम–1 सी0पी0सी0 मय शपथपत्र 19ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में पक्ष वादी है और उसे एकल वादी होने के नाते प्रस्तुत प्रकरण वापस लेने का हक प्राप्त है, प्रार्थी वादी एवं प्रतिवादीगण ने मामला सुलझा लिया है। अब प्रार्थी वादी को प्रतिवादीगण से कोई भी अनुतोष अपेक्षित नहीं है। वादी पहले ही प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी विक्रय कर उसपर कब्जा व दखल प्रतिवादीगण को दे चुके हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को रूपये 15,000/– बजरिये चैक सं0–000015 दिनांक 19.12.2019 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फरीदपुर, बरेली से बतौर खर्चा मुकदमा भी दे दिया है। अब प्रार्थी अपने मुकदमा चलाने के अधिकार को छोड़ते हुये मुकदमा वापस लेना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत मुकदमा वाद अधिकार को जीवित रखे बिना वापस कर दिया जावे।

प्रतिवादीगण मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 18ग की पुश्त पर अनापत्ति पृष्ठांकित करते हुए यह कथन किया है कि *''प्रतिवादीगण को मुकदमा वापस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।''*

पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 18ग मय शपथपत्र 19ग के माध्यम से यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद को वादी आगे नहीं चलाना चाहता है और अपना वाद की कार्यवाही समाप्त कर वाद को वापस लेना चाहता है। प्रतिवादीगण की ओर से अनापत्ति पृष्ठांकित की गयी है। वादी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र कागज सं0–18ग पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान को उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रार्थना पत्र पर वादी का फोटो लगा है जिसको उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ वादी हसीब मियां एवं प्रतिवादी सं0–1 रईस वेग व प्रतिवादी सं0–2 जहीर वेग के आधार कार्ड की फोटो कापी क्रमशः 20ग/1 ता 20ग/3 दाखिल की गयी हैं। वादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता तथा वाद की कार्यवाही समाप्त कर वाद को वापस लेना चाहता है। वादी अपने वाद का स्वामी होता है। प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी के प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। इसलिये वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। अतः वादी को वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

वादी का प्रार्थनापत्र 18ग स्वीकार किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त कर वादी को वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 18ग निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0),
बरेली।